व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र
कोलकाता

कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हिंसा से संबंधित आंतरिक शिकायत समिति

हाल के दिनों में देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराधों में वृद्धि के साथ, महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर देश में नए सिरे से विचार-विमर्श शुरू हुआ है। इस बड़ी बहस की पृष्ठभूमि में, इस तथ्य पर उचित ध्यान देते हुए कि महिला कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है और महिलाओं के प्रति आक्रामक व्यवहार की कुछ अप्रिय घटनाएं केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों और अन्य परिसरों में होती हैं, भवन और इसके परिसर में महिलाओं की सुरक्षा बीओपीटी (ईआर) के लिए विचार-विमर्श करने के लिए एक सामयिक और महत्वपूर्ण मुद्दा है।

विशाखा और ओआरएस बनाम राजस्थान राज्य और ओआरएस। (जेटी 1997(7) एससी 384), में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में कार्यालय परिसर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बोर्ड ने 2001 में एक स्थायी समिति का गठन किया।

वर्तमान में, यह प्रकोष्ठ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत नामित "आंतरिक शिकायत समिति" के रूप में कार्य करता है।

निम्नलिखित में से एक या अधिक अप्रिय कार्य या व्यवहार (चाहे सीधे या निहितार्थ से) अर्थात्:

· शारीरिक संपर्क या आगे बढ़ना; या

· यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध; या

· कामोत्तेजक टिप्पणी करना; या

· अश्लील साहित्य दिखाना; या

अन्य कोई अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण, यौन प्रवृत्ति संबंध के संबंध में आंतरिक शिकायत समिति प्रकोष्ठ को सूचित किया जा सकता है।

निम्नलिखित परिस्थितियों, अन्य परिस्थितियों के बीच यदि यह यौन उत्पीड़न के किसी कार्य या व्यवहार के संबंध में होता है या मौजूद होता है या उससे जुड़ा होता है तो यह यौन उत्पीड़न की कोटि में आ सकता है:-

· उसके रोजगार में अधिमान्य व्यवहार का निहित या स्पष्ट वादा; या

· उसके रोजगार में हानिकारक व्यवहार की निहित या स्पष्ट धमकी; या

· उसके वर्तमान या भविष्य के रोजगार की स्थिति के बारे में निहित या स्पष्ट धमकी; या

· उसके काम में हस्तक्षेप करना या उसके लिए डराने या आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्य या वातावरण बनाना; या

अपमानजनक उपचार से उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना है।

यह समिति पीड़ित महिला कर्मचारियों से यौन उत्पीड़न की शिकायतों के संबंध में पूछताछ करती है (जैसा कि अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है)। शिकायत को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है और जहां आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाती है।नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए शिकायतों को तेजी से सुना जाता है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर प्राधिकरण को आवश्यक सिफारिशें प्रदान की जाती हैं।

कहां और किससे शिकायत करें

अगर आप यौन उत्पीड़न के शिकार हैं या खुद को ऐसा महसूस करते हैं, प्रकोष्ठ के समिति के किसी भी सदस्य से तुरंत संपर्क करें (व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन/लिखित अनुरोध/ई-मेल के माध्यम से)। वैकल्पिक रूप से, ई-मेल ad3@bopter.gov.in पर भेजा जा सकता है। शिकायत और शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी

सतर्कता अनुभाग के अनुसरण में, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पत्र एफ.सं. सी-36011/1/2010.पीजी दिनांक 20 जनवरी 2015 इस कार्यालय की एक शिकायत समिति निम्नलिखित संरचना के अनुसार "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न" की धारा 4 के (एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू (पीपीआर) अधिनियम, 2013) के संदर्भ में प्राप्त करने और जांच करने के लिए गठित की गई है।

(i)	श्रीमती सुष्मिता घोष, सहायक निदेशक प्रशिक्षण	पीठासीन अधिकारी
(ii)	डॉ. अंकुर गांगुली, प्रिंसिपल, बीआईईएमएस, कोलकाता (नामित, बीआईईएमएस, कोलकाता)	पदेन सदस्य
(iii)	श्री के चंद्र मौली, प्रशिक्षण सहायक निदेशक [बीओपीटी(ई.आर.)] के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम सदस्य।	सदस्य
(iv)	श्रीमती नम्रता कुमारी, आशुलिपिक ग्रेड- II (बी.ओ.पी.टी.(ई.आर.) के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी सदस्य	सदस्य

समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों का निवारण "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर पुस्तिका (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013)" में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।